तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 92/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अम्बालाल v/s चैना	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.02.2026	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल मुख्यालय सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/1983 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.1986 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत मूल अपील संख्या 736/86 न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.1988 द्वारा अपील मंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील/डिक्री/टीए/2843/2017/ जालोर अनवान चैनाराम बनाम अम्बालाल प्रस्तुत की गयी। जिसे माननीय मण्डल द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.07.1988 को अपास्त करते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना में पत्रावली पुनः विचारार्थ दर्ज रजिस्टर की गयी। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 09.01.2025 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4425/2025 संतोष देवी बनाम चैनाराम वगै. प्रस्तुत की गयी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.01.2025 को स्थगित कर दिया गया। चूंकि वर्तमान में मूल प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका जैरकार है तथा माननीय मण्डल के निर्णय को स्थगित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में समानान्तर रूप से प्रकरण न्यायालय हाजा में जैरकार रखा जाना विधिसम्मत नहीं है, क्योकि प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में जैरकार रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के आधार पर निर्धारित होगा। अतः हस्तगत प्रकरण इसी अनुरूप निर्णित की जाकर विचारण से पृथक करते हुए संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकारान माननींय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम आदेश/अंतिम विनिश्चय की पालना में अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेगे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

Scanned with OKEN Scanner